Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण का हैड कानिस्टेबल व उसका दलाल 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *14 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बाड़मेर इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये उगमदान हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना ग्रामीण बाड़मेर तथा उसके दलाल इस्माईल (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई की हाइवे पर स्थित होटल पर अवैध शराब के केस में कार्यवाही नहीं तथा जमानत करवाने की एवज में पुलिस थाना ग्रामीण बाड़मेर के हैड कानिस्टेबल उगमदान चारण द्वारा उसके दलाल इस्माईल (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बाड़मेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामनिवास** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल इस्माईल पुत्र श्री शोकतअली निवासी हाजी स्टील के पीछे, तिलक नगर बाड़मेर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **10 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इस्माईल ने पूछताछ पर बताया कि उसने उक्त रिश्वत राशि आरोपी हैड कानि. उगमदान के लिये ली है। जिस पर बाद तफतीश उगमदान पुत्र श्री टीकमदान चारण निवासी देदड़ियार तहसील शिव जिला बाड़मेर हाल हैड कानिस्टेबल 994, पुलिस थाना ग्रामीण बाड़मेर जिला बाड़मेर को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।